



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102026-277210
CG-DL-E-16102026-277210

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5446]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2026/आश्विन 24, 1948

No. 5446]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2026/ASVINA 24, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5662(अ) - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956(1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा का.आ. 5198 (अ) के अन्तर्गत दिनांक 07.11.2022 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है।

अर्थात्, अनुसूची के कालम 7 (गाँव का नाम) के क्रमिक संख्या 6 में अंकित गाँव का नाम "गंगोरी" के स्थान पर "गंगोरीसेरा" पढ़ा जाय।

[फा. सं. RO/UK/NH-34(108)Gangotri-Barethi/LA/01]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 12th October, 2026

S.O.5662(E).— In exercise of power conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956). The Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 5198(E) Dated 07.11.2022 Published in the Gazette of India. Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section(ii). Makes the following amendments to the notification published on:

In other words, In column 7 (Name of the village) of the schedule, Sl. No. 6, village name instead of "Gangori", "Gangosera" should be read.

[F. No. RO/UK/NH-34(108)Gangotri-Barethi/LA/01]

SHAIKH AMINKHAN, Director